

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1716]	नई दिल्ली, सोमवार, मई 14, 2018/वैशाख 24, 1940
No. 1716]	NEW DELHI, MONDAY, MAY 14, 2018/VAISAKHA 24, 1940

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 2018

का.आ. 1903(अ).—गर्भधारण-पूर्व एवं प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा-32 सहपठित नियम 19 अ(1)(अ), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय समुचित प्राधिकारी या संघ राज्य क्षेत्र प्रदेश के समुचित प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील की सुनवाई के लिए प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक केंद्रीय (संघ) अपीलीय प्राधिकारी निम्नानुसार नियुक्त किया है:-

क्र.सं	केंद्र शासित प्रदेश	अपीलीय प्राधिकारी
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	प्रधान सचिव (स्वास्थ्य)
2	चंडीगढ़	सचिव (स्वास्थ्य)
3	दादर और नगर हवेली	सचिव (स्वास्थ्य)
4	दमन और दीव	सचिव (स्वास्थ्य)
5	दिल्ली	सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण)
6	लक्षद्वीप	सचिव (स्वास्थ्य)
7	पुडुचेरी	सचिव (स्वास्थ्य)

[फा. सं. डब्ल्यू. 12017/06/2012-पीएनडीटी]

वंदना गुरनानी, संयुक्त सचिव

2641 GI/2018 (1)

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th May, 2018

S.O. 1903(E).—In exercise of the powers conferred by Section 32 of the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act of 1994 read with Rule 19A (1)(a) of rule thereunder the Central Government hereby appoints Central Appellate Authority for each of Union Territories, for the purpose of hearing appeal against the order of the Central Appropriate Authority or the Union Territory Appropriate Authority as follow:

Sl. No	Union Territory	Appellate Authority
1	Andaman and Nicobar Island	Principal Secretary (Health)
2	Chandigarh	Secretary (Health)
3	Dadra and Nagar Haveli	Secretary(Health)
4	Daman & Diu	Secretary(Health)
5	Delhi	Secretary (Health & Family Welfare)
6	Lakshadweep	Secretary (Health)
7	Puducherry	Secretary (Health)

[F.No. W.12017/06/2012-PNDT] VANDANA GURNANI, Jt. Secy.